उद्यम पंजीकरण करने के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड – 3 के उप-खण्ड (2), दिनांक 26 जून, 2020 के द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2020 से तत्काल प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में, वर्गीकृत करने के लिए मापदंड के रूप में समग्र मापदंड जिसमें निवेश और व्यवसाय(टर्नओवर) दोनों शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया।

MSME की नई परिभाषा के अनुरुप एवं सरलता पूर्वक व्यापार करने के लिए यह निकाय MSMEs को एक स्थायी पंजीकरण 'उद्यम पंजीकरण' की सुविधा प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएं :

- कोई भी व्यवसाय हेतु उद्यम पंजीकरण कर सकता है। http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिजिटल तथा बिना कागज (पेपरलेस) है। इसमे कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- यह पंजीकरण पूर्ण रूप से मुफ्त है। किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस देय नहीं है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ऑनलाइन से ही एक ई-प्रमाणपत्र "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" के नाम से जारी किया जाएगा।
- इस प्रमाणपत्र में एक डायनेमिक क्यू.आर. कोड है, जिसके माध्यम से पोर्टल पर वेब पेज तथा उद्यम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- जो भी जानबूझकर गलत घोषणा करता है या उद्यम पंजीकरण या प्राप्ति प्रक्रिया में दिखाई देने वाले स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को दबाने का प्रयास करता है, वह निर्दिष्टअधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से आयकर तथा जी एस टी पहचान संख्या (GSTIN) प्रणालियों के साथ एकीकृत है। उद्यमों के निवेश और टर्नओवर का विवरण सरकारी डेटा बेस में स्वचालित रूप से लिया जाता है। निर्यात की गई सामग्री को टर्नओवर गणना में नहीं लिया जाता है।
- जिन लोगों के पास ई.एम.-II या यू.ए.एम. पंजीकरण या एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पंजीकरण है, उन्हें दिनांक 31.03.2021 से पहले पुनः पंजीकरण करना होगा।
- कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण नही करेगा। हालाँकि कितनी भी संख्या में गतिविधियाँ, विनिर्माण या सेवा या दोनों को साथ में एक पंजीकरण में निर्दिष्ट या जोड़ा जा सकता है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक सामग्री

- पंजीकरण हेतु केवल आधार कार्ड का नंबर ही पर्याप्त है।
- दिनांक 01.04.2021 से पैन तथा जी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के लाभ

- उद्यम के लिए यह एक स्थायी पंजीकरण तथा मूल पहचान संख्या होगा।
- एम.एस.एम.ई. पंजीकरण कागज रहित तथा स्व:घोषणा आधारित है।
- पंजीकरण को नवीनीकरण(renewal) की आवश्यकता नहीं होगी।
- कितनी भी संख्या में गतिविधियां, विनिर्माण या सेवा समेत, को एक पंजीकरण में निर्दिष्ट या जोड़ा जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण के साथ,उद्यम (इंटरप्राइजेज) जेम (सरकारी ई-विपणन स्थान, जी से बी के लिए पोर्टल) और समाधान पोर्टल (एक ऐसा पोर्टल जहाँ देर भुगतान सबंधित मुद्दों का निराकरण होता है) पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ तीन उपलब्ध प्लेटफॉर्म जैसे 1. www.invoicemart.com 2. www.mlxchange.com 3. www.rxil.in के माध्यम से एम.एस.एम.ई. स्वयं भी टी.आर.ई.डी.एस. प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते है।
- उद्यम पंजीकरण एम.एस.एम.ई. (MSMEs) मंत्रालय की योजनाओं जैसे कि क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त भुगतान और विलंबित भुगतान के खिलाफ सुरक्षा इत्यादि का लाभ उठाने में एम.एस.एम.ई. (MSMEs) की मदद कर सकता है।
- बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) सबंधित दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) पर दिशा-निर्देश जारी किया। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियों में 1) कृषि 2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 3) निर्यात क्रेडिट 4) शिक्षा 5) आवास 6) सामाजिक बुनियादी ढांचा 7) अक्षय ऊर्जा 8) अन्य आते हैं। एम.एस.एम.ई. सेक्टर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एम.एस.एम.ई. की परिभाषा क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए क्रेडिट फ्लो पर और समय-समय पर अद्यतित भारत सरकार (भा.स.), राजपत्र अधिसूचना S.O.2119 (E) दिनांक 26 जून, 2020 को परिपत्र RBI/2020-21/10FIDD.MSME & NFS.BC.NO.3/06.02.31/2020-21 को FIDD, MSME & NFS.BC.NO.4/06.02.31/2020-21 दिनांक 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 के साथ पढ़ा जाएगा।इसके अलावा, ऐसे एमएसएमई को माल के निर्माण या उत्पादन में, किसी भी तरीके से, उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में संबंधित निर्दिष्ट किसी भी उद्योग सेवा किसी सेवा या सेवाओं के प्रतिपादन या प्रदान करने में लगे रहना चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप MSMEs को सभी बैंक ऋण वर्गीकरण के लिए अर्हता प्रदान करते है।